

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 414/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
कानसिह पुत्र शिवनाथसिह जाति राजपूत निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1- जेठाराम पुत्र भूराराम 2- खंगारराम पुत्र करनाराम 3- करनाराम पुत्र भूराराम जातियान कलबी पटेल निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 4- गीतादेवी पत्नी जगदीश जाति सुथार निवासी समदडी हाल कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 5- चैनाराम पुत्र गेनाराम जाति सुथार निवासी 17 डी, पालरोड जोधपुर 6- वगताराम पुत्र गेनाराम जाति सुथार निवासी 17डी, पाल रोड जोधपुर 7- छगनीदेवी पत्नी मोहनराम जाति सुथार निवासी समदडी हाल कल्याणपुर तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर 8- अमृतलाल पुत्र मोहनलाल जाति सुथार निवासी समदडी हाल कल्याणपुर तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर 9- जुगराज पुत्र मोहनलाल जाति सुथार निवासी समदडी हाल कल्याणपुर, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 10- विश्वकर्मा छात्रावास जरिये अध्यक्ष कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 11- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध आदेश दिनांक 6-9-2016 जो उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा  
मुकदमा संख्या 14/2014 अनवान कानसिह बनाम जेठाराम वगैरा मे पारित  
किया गया ।

उपस्थिति बहस:-

- 1- श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री पदम सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पॉ 0 संख्या 1 से 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28-5-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ  
न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पुराना खसरा नंबर 240 नया  
खसरा नंबर 870/240 रकबा 100 बीघा सरहद मौजा कल्याणपुर मे आई हुई है । उक्त

वर्णित भूमि प्रार्थी के हक में पूर्वाधिकारी श्री राव शेरसिंह तत्कालीन काबिज जागीरदार ने प्रार्थी को जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा बख्शीश करके दी तथा प्रार्थी को खेत खसरा नंबर 240 में बक्शीशसुदा रकबा की कृषि भूमि के सीमा पडौस का सीमा चिन्ह युक्त विवरण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अनुसार है। प्रार्थी का वर्ष 1970 से बख्शीशनामे के अनुसार खातेदारी भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा विप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के काफी वर्षों बाद प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गलत तरीके से नक्शे में तरमीम करवा कर प्रार्थी की भूमि हडपना चाहते हैं। अतः प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 240 नया खसरा नंबर 870/240 रकबा 100 बीघा मौजा सरहद कल्याणपुर के पूर्व दिशा में गांव कल्याणपुर से मण्डली जाने वाली सड़क के रकबे के बीच में नक्शा व फील्ड बुक में खसरा नंबर 1365/240, 1368/240, 1366/240, 1367/240, 1300, 1301, 1302, 892/240, 1223/240, 1219/240, 893/240 पर की गई अवैध बिना क्षेत्राधिकार की शून्य तरमीम को नक्शा व फील्ड बुक से जरिये दुरस्ती हटाया जाकर सीमा चिन्ह माफिक दस्तावेज पंजीकृत बख्शीशनामा प्रत्यावर्तित किया जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुन कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6-9-2016 के द्वारा प्रार्थी (वर्तमान अपीलांत) का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील पक्षकारान उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी ओर से लिखित बहस पेश की, जो पत्रावली में शामिल है तथा अपनी मौखिक बहस के दौरान अपीलांत अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांत अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुने बिना ही प्रत्यर्थीगण को लाभ पहुंचाने की गरज से बिना किसी क्षेत्राधिकार के अनुचित रूप से खसरा नंबर 240 की कृषि भूमि होना बताकर नक्शा एवं फील्डबुक में तरमीम कर नक्शा अभिलेख में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के लकीरे खींचकर खसरा नंबर 1365/240, 1368/240, 1366/240, 1367/240, 1300, 1301, 1302, 892/240, 1223/240, 1219/240, 893/240 की तरमीम बताकर पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि के संबंध में कभी भी खातेदारों के बीच विधिक बंटवाडा नहीं हुआ था परंतु पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थीगण से मिली भगत कर बिना किसी खातेदार को सुने तरमीम कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने में विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांत ने कथन किया कि हेमला व भगा की जमीन उपरोक्त सम्पूर्ण खसरे के उत्तर दिशा में स्थित थी परंतु हेमला द्वारा सर्वप्रथम बेचान वर्ष 1984 में रतनाराम को किया जिसमें बिना किसी तरमीम हुए अडोस पडोस लिखे गये जो उत्तर में खसरा नंबर

240/32, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में खसरा नंबर 240/1 तथा पश्चिम में खसरा नंबर 240/5 दर्शाया परंतु रतनाराम ने उक्त अडोस-पडोस बदली करते हुए वर्ष 2001 में धर्माराम को बेचान की जिसमें उत्तर में इसी खसरे का शेष रकबा, दक्षिण में सीतली कच्चा मार्ग, पूर्व में मण्डली कच्ची सड़क तथा पश्चिम में इसी खसरे का शेष रकबा इस प्रकार मूल खातेदार हेमा द्वारा रतनाराम को बेचान किये जाने पर उक्त जमीन के दोनों तरफ सड़क नहीं थी परंतु उसी जमीन का रतनाराम द्वारा धर्माराम को बेचने पर दोनों तरफ रोड वर्णित कर दी और इसी अनुरूप हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपनी मनमर्जी से राजस्व नक्शे में लाईन खींचकर प्रत्यर्थागण से मिलीभगत करते हुए तरमीम कर दी जो उक्त लाईन बिना अधिकार के खींची गई जो साफ जाहिर है कि उक्त तरमीम पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी खातेदारों को सूचित किये अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2001 में की गई जिसका पटवारी को कोई अधिकार नहीं था अतः उक्त तरमीम के बाबत खींची गई लाईन शुद्ध करी जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारीज करने में विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि मूल खातेदार भगाराम व हेमाराम द्वारा जो वर्ष 1977 व 1978 में खातेदार दर्ज हुए उनके द्वारा कभी भी तरमीम नहीं करवाई गई, फिर भी उन्होंने अपनी जमीन करनाराम एवं रतनाराम को बेचान की तत्पश्चात करनाराम एवं भगाराम ने खसरा नंबर 244, 256 एवं 239 की सड़क किनारे एवं सड़क पर कब्जा कर लिया जो रास्ते व शमशान की भूमि है व उक्त भूमि पर पटवारी से सांठगांठ कर तरमीम करवा दी जबकि हल्का पटवारी को किसी सक्षम अधिकारी के बिना आदेश तरमीम करने का कोई हक व अधिकार नहीं था परंतु उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी कानसिह द्वारा एक वाद संख्या 135/2011 अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश बालोतरा में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा उक्त तरमीम को गलत बताया गया तथा तरमीम की जाने वाली जमीन पर अपना कब्जा बताया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टिया अपीलार्थी के पक्ष में मानते हुए दिनांक 6-9-2016 को अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया जबकि उसी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 85/2012 के विपरीत पारित करने में कानूनी भूल की है ।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि रेस्पोंडनेट ने अपनी लिखित बहस में अपीलाधीन भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश होना जिसमें पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर से निर्णय पारित होना बताया है परंतु माननीय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानियां पेश हुईं जिनमें स्थगन आदेश पारित किया हुआ है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 अधिवक्ता की लिखित बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पो0गण ने आवंटियों से तरमीम सुदा रकबा खरीद किया था जबकि उक्त कथन साक्ष्य के अभाव में गलत है क्योंकि ऐसी तरमीम के आदेश पत्रावली पर मौजूद ही नहीं है न ही ऐसा आदेश आज दिन तक पारित हुआ है और न ही खातेदारों के बीच कभी कोई बंटवाडा ही हुआ है परंतु पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से राजस्व नक्शे में लकीरे खींचकर तरमीम कर दी जो विधिसम्मत नहीं होने से शून्य है तथा ऐसे शून्य कार्यवाही के आधार पर आगे की कार्यवाही भी स्वतः ही शून्य मानी जायेगी, केवल भूमि रूपांतरण करवा लेने से गलत तरमीम विधिसम्मत नहीं हो जाती इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के सलग्न जो मौका फर्दे पेश की है उक्त फर्दे बनाते समय अपीलार्थी को न तो कोई सूचना दी गई थी और न ही अपीलांट को जानकारी दी गई इसलिए अपीलांट की गैर हाजरी में तैयार मौका फर्दों का विधि में कोई अस्तित्व ही नहीं है ।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6-9-16 को निरस्त करने तथा अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 240 नया 870/240 रकबा 100 बीघा कल्याणपुर के बदिशा पूर्व में गांव कल्याणपुर से मण्डली जाने वाली सडके के रकबे के बीच में नक्शा व फील्ड बुक में खसरा संख्या 1365/240, 1368/240, 1366/240, 1367/240, 1300, 1301, 1302, 892/240, 1223/240, 1219/240, 893/240 में की गई तरमीम अवैध, बिना क्षेत्राधिकार की शून्य तरमीम को नक्शा व फील्ड बुक से जरिये दुरस्ती हटाया जाकर माफिक पंजीकृत बख्शीशनामा सीमाचिन्ह दर्ज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट अपने खसरा नंबर 870/240 की तरमीम जो राजस्व नक्शे में कदीम से की हुई है उसे बदलकर रेस्पो0 जहां पर काबिज है, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर करवाना चाहता है अर्थात् कल्याणपुर से मण्डली जाने वाली सडक पर आना चाहता है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खेत खसरा नंबर 240 में से अवाप्तसुदा भूमि एवं आवंटित भूमि तथा आवंटियों से खरीदसुदा भूमि आदि समस्त रेकर्ड के अवलोकन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि खसरा नंबर 240 नया खसरा नंबर 870/240 का कुल क्षेत्रफल 100 बीघा जिसके पूर्व में खसरा नंबर 1365/240, 1368/240, 1366/240, 1367/240, 1300, 1301, 1302, 892/240, 1223/240, 1219/240, 893/240 की पुरानी माटे बनी हुई है जिससे जाहिर है कि उक्त खसरा की पुरानी एवं पुख्ता तरमीम है जिसे वर्तमान में उक्त खसरा में भूमि संपरिवर्तन होने से एवं रहवासीय ढाणी एवं व्यावसायिक फेक्ट्रियां आदि बनी हुई है उपरोक्त आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से खारीज किया है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद संख्या 135/2011 अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश बालोतरा के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पो0 के विरुद्ध पेश किया वह वाद के साथ परिशिष्ट "अ" सलग्न नक्शा पेश किया जो वाद का अंगसुमार समझा जावे, ऐसा अपीलांट ने वाद के पद संख्या 1 मे वर्णित किया है तथा वाद के पद संख्या दो, चार, पांच इस्तदुआ के पद संख्या अ के अनुसार अपीलांट स्वयं अपनी जमीन के पूर्वी दिशा मे रेस्पो0 की जमीन स्वीकार करता है, तथा अपीलांट की जमीन व रेस्पो की जमीन के बीच पुरानी माठ 50 साल पुरानी होना स्वीकार करता है । इसप्रकार अपीलांट स्वयं नक्शा तरमीम को 50 साल से पुरानी होने की स्वीकृति वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे देता है तथा उक्त तथ्य के सही होने की तस्दीक करता है ऐसे मे अपीलांट स्वयं की सहमति एवं स्वीकृति के पश्चात उपरोक्त अपील पोषणीय नही होने से खारीज योग्य थी ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि उक्त अपील पेश करने से पूर्व अपीलांट ने एक मुकदमा रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से पुलिस थाना कल्याणपुर मे पेश किया जिसमे अपीलांट स्वयं ने जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर से मोमी ट्रेस व हल्का पटवारी के पास लट्ठा ट्रेस की तरमीम अनुसार सीमाज्ञान करवाने हेतु टीम गठित करवाकर दिनांक 6-5-2014 को मौके का नाप करवाया जिसमे अपीलांट की जमीन नक्शे तरमीम अनुसार 100 बीघा मौके पर पाई गई । रेस्पो0 का अपीलांट की जमीन पर अतिक्रमण नही होना पाया गया तथा अपीलांट का मुकदमा झूठा मानकर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट पेश की इसलिए भी अपीलांट द्वारा गलत आधार पर प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की पुख्ता तरमीम होने व मौके पर पुरानी माढे होने के बावजूद अपीलांट द्वारा सीमा विवाद करने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया जिस पर अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर सहमति से आदेश पारित करवा कर पैमाईश टीम गठित करवा कर मौके पर उपस्थित रहकर मुटाम कायम करवाये जिसके अनुसार पुरानी माढे सही पाई गई । पक्षकारान नक्शे मे तरमीम अनुसार काबिज है इसके पश्चात उक्त आदेश की अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर मे प्रस्तुत की जिसे न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 29-3-2016 को खारीज कर दिये जाने पर वर्तमान मे अपीले माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान मे लंबित है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि भू अभिलेख अधिकारियों को उक्त क्षेत्राधिकार धारा 127 भू राजस्व अधिनियम मे प्राप्त है तथा भू अभिलेख अधिकारियों द्वारा पारित आदेश की अपील संचालक भू अभिलेख की हैसियत से राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत की जानी चाहिये इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर भी पोषणीय नही होने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 ने आवंटियों से तरमीमसुदा रकबा

खरीदकर वर्ष 2009 में उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से भूमि रूपांतरण करवा कर आबादी व व्यावसायिक में किस्म परिवर्तन करवाकर मौके पर प्लॉट काटकर नाप करवाकर नक्शा में तरमीम की गई तथा मौके पर पत्थर कटिंग की फेक्ट्री चालू है। रहवासीय मकान बने हुए हैं तथा मंदिर तथा विश्वकर्मा छात्रावास बने हुए हैं जिसमें छात्र रह रहे हैं जिसका अपीलांत चिपता हुआ पडौसी है। यदि उपरोक्त जमीन अपीलांत की होती तो अपीलांत उजर एजराज करता लेकिन कभी कोई आपत्ति नहीं की परंतु अब अपीलांत की नियत में फर्क आ जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के मध्यनजर खारीज करने का आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांत सक्षम व्यक्ति है जो अपने धन एवं बाहुबल से रेस्पो0 को परेशान कर उनको जबरदस्ती अपने तरमीम सुदा रहवासीय पट्टासुद भूमि पर से बेदखल करने पर उतारू है इसलिए अपीलांत ने रेस्पो0 गण के रहवासीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से हमला कर मकान में आग लगा दी जिस पर पुलिस थाना कल्याणपुर द्वारा अपीलांत को गिरफ्तार किया गया तथा मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक गया जहां से रेस्पो0 को अपीलांत कानसिह से 75000/- रुपये देने के साथ जमानत स्वीकार की। अंत में वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजों एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांत एवं रेस्पो0 दोनों अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 401 में वर्णित खसरा नंबर 240 की 147 बीघा सिलिंग अवाप्त भूमि का आवंटन विभिन्न भूमिहीन व्यक्तियों को वर्ष 1972 में किया गया था। उक्त आवंटन सुदा भूमि की तरमीम के पश्चात वर्तमान रेस्पो0गण ने उक्त भूमि आवंटियों से खरीद की है तथा खरीद के आधार पर रेस्पो0गण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुए। अपीलाधीन खसरा नंबर 240 की कुल भूमि में से 100 बीघा भूमि जरिये बक्शीशनामा अपीलांत कानसिह वल्द शिवनाथसिंह जाति राजपूत के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौका फर्द, अपीलाधीन भूमि का नजरी नक्शा तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध में संपरिवर्तन आदेश एवं वर्तमान स्थिति आदि का अवलोकन करने के पश्चात अपीलांत के खसरा नंबर 240 नया खसरा नंबर 870/240 के पूर्वी दिशा में खसरा नंबरान 1365/240, 1368/240, 1366/240, 1367/240, 1300, 1301, 1302, 892/240, 1223/240, 1219/240, 893/240 में पुरानी माठ बनी हुई होने से उक्त खसरान की भूमि की पुख्ता तरमीम होना मानते हुए वर्तमान मौका स्थिति अनुसार तरमीम के जरिये परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नहीं मानते हुए

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य प्रतीत होता है । यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के बीच वाद भी विचाराधीन है तो अंतिम निर्णय तो वाद के निर्णय से ही होना है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते हैं ।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बालोतरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6-9-2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28-5-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)  
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर